इन सेवानिवृत्त कार्मिकों को रोजगार देती है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध आरक्षित पदों की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत पद भरे गये और चालू वर्ष में इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के विभागों में समूह 'ग' और 'घ' में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों (रक्षा सुरक्षा कोर सहित जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए 100% आरक्षण है और उन्हें नियुक्त किया जाता है) और इन पर नियुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है –

वर्ष	जिन्हें रोजगार पर लगाया गया है	आरक्षित	अनुमानित प्रतिशतता पदों की संख्या
1987	1655		6483
1988	3054		7481
1989	1947		4761
			25
			40
			42

आरक्षित रिक्तियों पर भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी संभावित प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु इस वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी, यह बताना संभव नहीं है ।

वैज्ञानिक/पर्यावरण संगठनों द्वारा परमाणु विद्युत केन्द्रों के विरुद्ध अध्यादेश

3175. श्री मेन्ते पद्मनाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के वैज्ञानिकों तथा पर्यावरण संगठनों द्वारा परमाणु विद्युत केन्द्रों के विरुद्ध दिये गये अभ्यावेदनों पर विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में केरल में एक वैज्ञानिक तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के बीच उत्पन्न विवाद का ब्यौरा क्या है ;

(ग) परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना के विरुद्ध उक्त वैज्ञानिक ने क्या-क्या आपत्तियां उठाई थीं ;

(घ) इस मामले में परमाणु ऊर्जा आयोग का क्या मत है ;

(ङ) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने कभी किसी समय उस से जो सरकार से बाहर हैं की आपत्तियों और मतों से तथा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों द्वारा उठाई गई किन्हीं आपत्तियों और मतों से सहमति प्रकट की है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां

(ख) से (घ) परमाणु ऊर्जा आयोग को केरल में परमाणु बिजलीघर लगाने अथवा लगाने के बारे में वैज्ञानिक और पर्यावरण वेत्ता वर्गों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं । जिस मामले का जिक्र किया गया है उसका संबंध केरल सरकार के एक वैज्ञानिक द्वारा सार्वजनिक रूप से व्याप्त मत के बारे में केरल सरकार से है ।

(ङ) और (च) परमाणु बिजली से संबंधी कार्यक्रम के संबंध में सरकार से और परमाणु ऊर्जा संस्थापन के बाहर के व्यक्तियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और व्यक्त मतों की ओर उचित ध्यान दिया जाता है । परमाणु

ऊर्जा नियामक बोर्ड सही मत प्राप्त करने के लिए इन मतों और दृष्टिकोणों की ओर ध्यान देता है और अपनी चर्चाओं और विचार-विमर्श में बाहर के विशेषज्ञों को शामिल करता है।

जनता में पर्यावरणीय जागरूकता लाने के लिए वित्तीय सहायता

3176. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रदूषण के खिलाफ देश में जागरूकता लाने के लिए और विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इन संस्थाओं में से प्रत्येक को कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) प्रदूषण विरोधी अभियान में लगी संस्थाओं की संख्या कितनी है और वित्तीय सहायता के लिए संस्थाओं के चयन का मापदण्ड क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है ;

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संबंधी बदरुद्दीन तैयबजी समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

3177. **श्री राम जेठमलानी : :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में बदरुद्दीन तैयबजी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किए जाने की योजना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट ने 10-11 अगस्त, 1987 को हुई अपनी बैठक में विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में मुस्लिम छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण के संबंध में इसके तीन सदस्यों द्वारा प्रस्तावित अलग-अलग प्रस्ताव पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि प्रस्ताव से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कुलपति द्वारा बनी सदस्यों की समिति गठित की जाए। कोर्ट के प्रस्ताव अनुसरण में कुलपति ने इस उद्देश्य के लिए नौ सदस्यों की समिति (तैयबजी समिति) नियुक्त की। समिति का विचार था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विशेष स्वरूप को देखते हुए विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति अधिक संख्या में मुस्लिम छात्रों को प्रवेश देना होनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तैयबजी समिति ने निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिए हैं ;

(i) कक्षा XI, स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 50% सीटें सभी समुदायों से संबंधित छात्रों की समेकित सूची में से योग्यता के आधार पर भरी जानी चाहिए। शेष 50% सीटें उन मुस्लिम छात्रों को छोड़ते हुए, जिनका चयन समेकित सूची में से कर लिया गया है, केवल मुस्लिम छात्रों की सूची में से योग्यता के आधार पर भरी जानी चाहिए।

(ii) कक्षा XI में प्रवेश के लिए योग्यता आवेदक द्वारा अर्हक परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर रखी जाए जबकि सभी विषयों में स्नातक